५३१४ (रंगोली 20.111) ५३६८-५२५ 200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

Stamp ...d under I. 8 Act 1899
Addl. stamp duty paid under U.P. & Act ...

(१) लेख्यकारी का नाम और पता:- (१) गोपाल प्रसाद वल्द श्री भेदमी प्रसाद कायम जाति कसोधन वैश्य निवासी शहर गढ़वा, थाना - गढ़वा जिला - पलामू। पेशा - खेती। राष्ट्रीयता - भारतीय।

शपथ-पत्र सं० ५८८ दिनांक १४.८.८६

विक्रेता

200Rs.

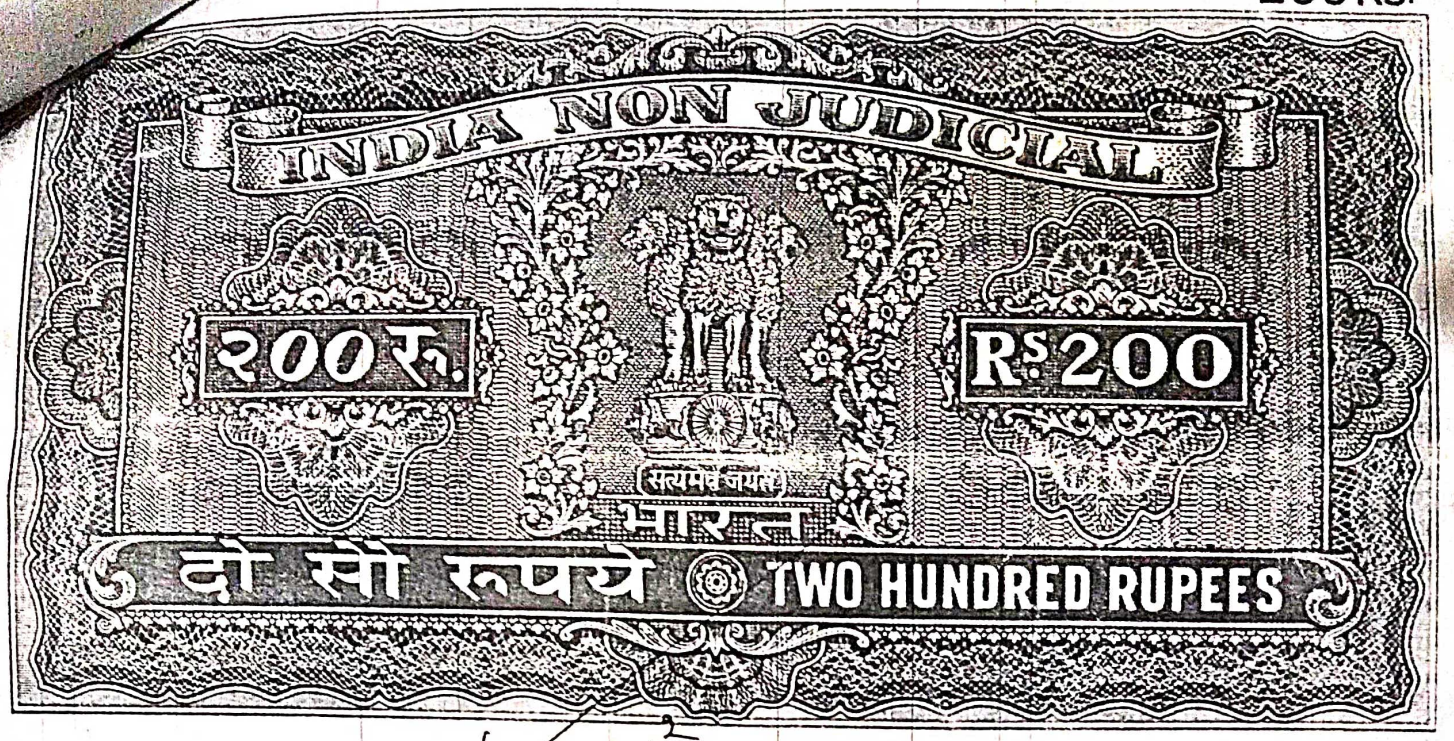

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

२

(१) लेख्यधारी का नाम वो पता :- (१) अयोध्या प्रसाद वल्द [illegible] केदार साह कायम, जाति सोनियार वैश्य, निवासी ग्रा. गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला पलामू पेशा-खेती एवं दुकान ~~राधेश्याम~~ शपथ-पत्र सं० ५८० दिनांक १५.८.[illegible] द्वारा

(२) लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र (केवाला बयमुतलक) Sale-deed

(३) मूल्य :- मो. 20,000/- रु. बीस हजार रुपया मात्र।

(४) सम्पत्ति :- मबाली 0.६ ए. ~~छः~~ डीसमील एक कीता खंडहर मकान जिसका हिन्दी नाप करीब एक कट्ठा बारह धूर होगा, जो वाके मौजा गढ़वा, थाना-गढ़वा तथा सिरहे परगने वो जिले पलामू सबरजिस्ट्री

गढ़वा
१५/६/८५

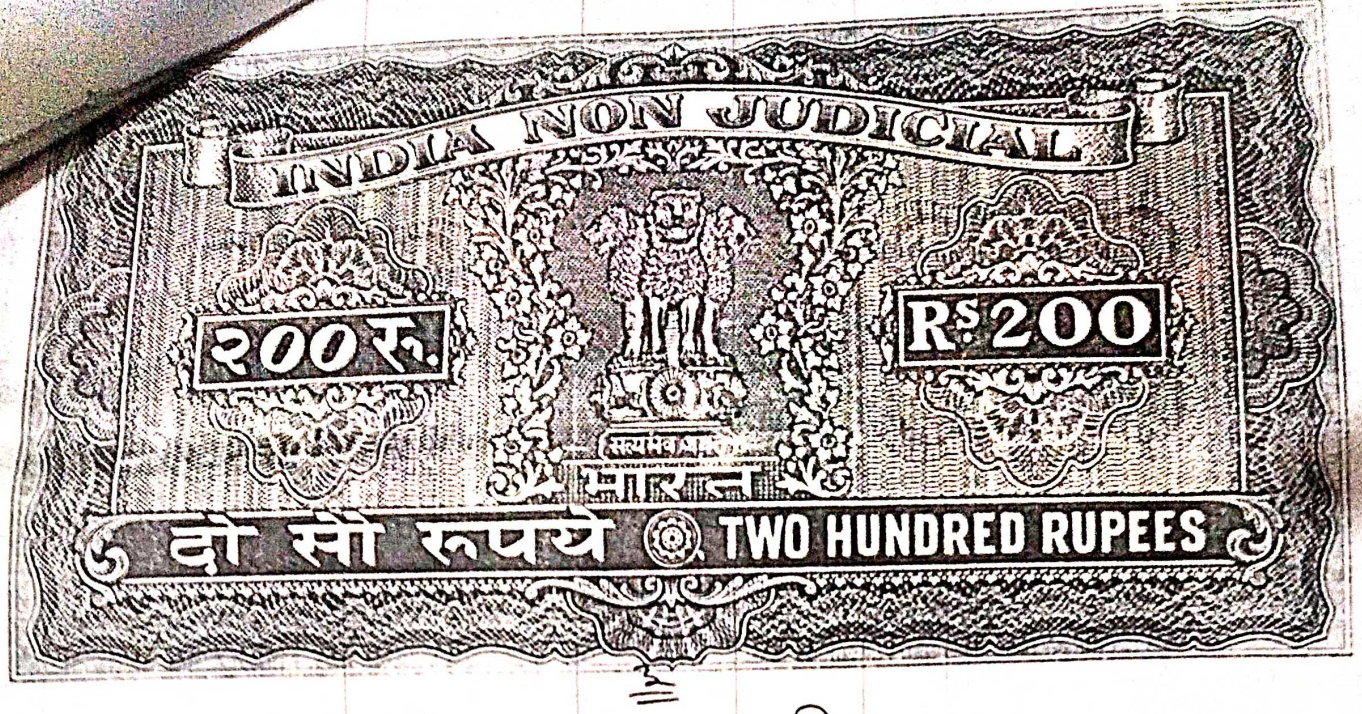

ऑफिस मुकाम गढ़वा जिला
रजिस्ट्री ऑफिस मुकाम
डालटेनगंज अन्दर नगरपालिका
गढ़वा हकीयत छपरबन्दी
बिक्री करते हैं जिसका पूरा
विवरण नीचे दर्ज है। —

थाना नं	तौजी नं	खेवट नं	वार्ड नं पुराना	होल्डिंग नं
३२८	१२६	१	५	४५६

खाता नं	प्लौट नं	रकबा ए.डी.	चौहद्दी
८८	१०६६	०-३	उत्तर - रास्ता
आबादी =	दस सौ छेयासठ		दक्षिण - रास्ता
,,	१०६६ दस सौ छेयासठ	०-३	पूरब - रास्ता बाद हूं [illegible] का मकान
			पश्चिम - मकान केदार साह पुत्र सरयू साह

कुल-(१) — (२) - ०.०६ ए. (छः डीसमील)

सालाना छपरबन्दी मो. २.६० रु. दो
रुपया साठ पैसा आलावे शेष।

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

मालिक बिहार सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी, गढ़वा एवं नगरपालिका गढ़वा।

विदित हो कि उक्त खाना संख्या पांच में वर्णित सम्पत्ति घोषणाकारी की खरीदगी हो जाने बजरिये रजिस्ट्री केवाला द्वारा मो. इन्दरी खातुन जौजे इस्वरी साह साकिन गढ़वा थाना गढ़वा जिला पलामू से हासील है जिसका केवाला संख्या ३३४५ सन १९६५ ई०वी० निबंधित दिनांक २३-६-१९६५ ई०वी०, पुस्तक संख्या १ जिल्द संख्या ३४ पृष्ठ संख्या २२ से २५ तक है तथा इस सम्पति पर घोषणाकारी का निर्विवाद दखल कब्जा है इस पर किसी प्रकार का

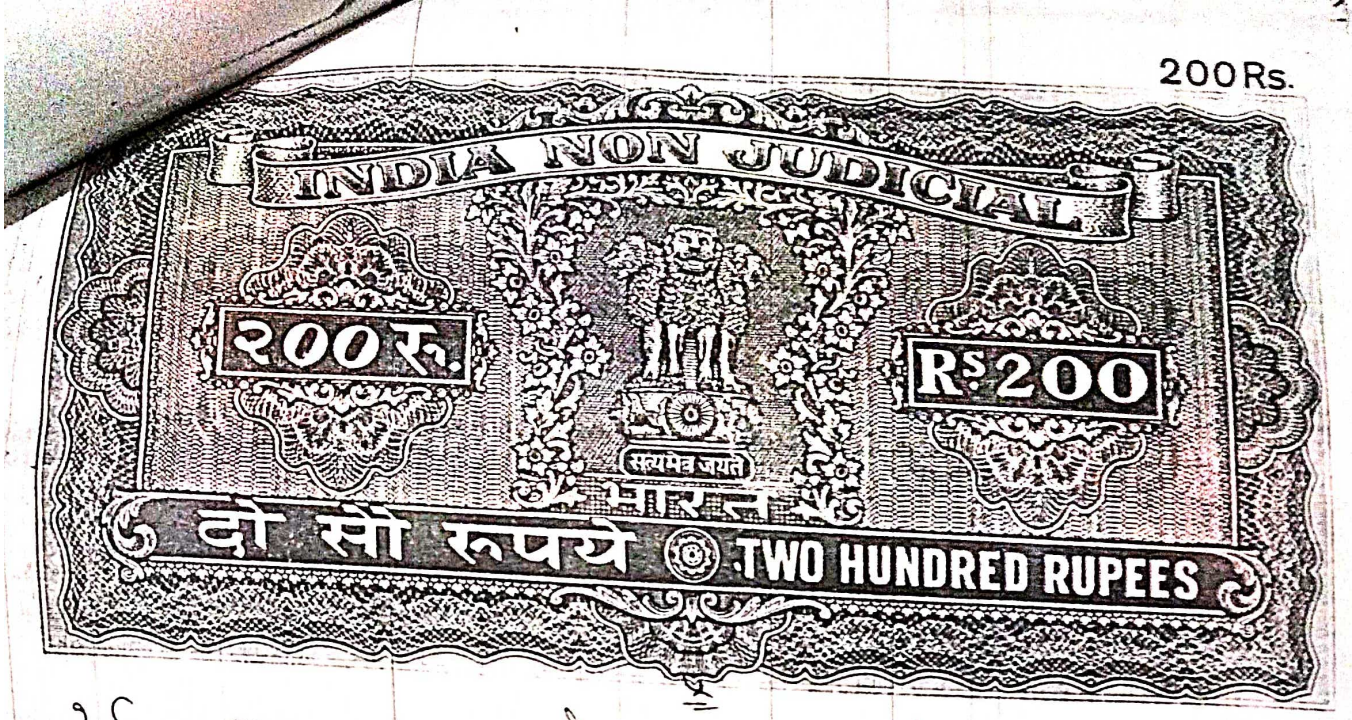

200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु.

Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

कोई झगरा या बारधैन, नहीं है
पाक एवं साफ है। इस समय
लेख्यकारी को रुपये का सख्त जरूरत
वास्ते अदा करने कर्ज एवं व्यापार
में तरक्की करने के लिये है जो
बिना उक्त सम्पत्ति बिक्री किये रुपये
का इन्तजाम नहीं हो सकता है
इसलिये लेख्यकारी ने उक्त
सम्पत्ति को बिक्री करने का ऐलान
किया जिस पर उक्त लेख्यधारी
ने उचित मूल्य मो॰ 20,000/-रु॰ बीस
हजार रुपया में खरीदने पर
तैयार हुए जो आजकल के कीमत
से वाजीब एवं ठीक है इससे
ज्यादा कीमत अब दूसरा कोई
देने को तैयार नहीं है। इसलिये

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

६

लेखकारी अपने मन व शरीर की स्वस्थता में नफा नुकसान समझते हुए उक्त खाता संख्या पांच की सम्पत्ति मवाजी ०.२६ ए. छव डीसमील एक कीता खंडहर मकान को उक्त लेखपारी अयोध्या प्रसाद के हाथ बिक्री किया तथा उक्त सम्पति का पूर्ण स्वत्व एवं अधिकार लेखधारी को हस्तान्तरित कर दिया। अब आज से उक्त सम्पति पर मुझ लेखकारी या मेरे किसी वारीसान या उत्तराधिकारी को कोई

उपेन्द्र
प्रमाणित हस्ताक्षर

60 Rs.

साठ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

SIXTY RUPEES

६० रु

60 RS.

६

अधिकार एवं हक न रहा
रहा और न भविष्य में
होगा । परस्थमन का कुल
रुपया बकाबदुल बदलेन रसीद
से वसूल पावेगी । वसीका हाजा
का असल रसीद लेख्यधारी
के हाथ में जाना ही मूल्य
वसूली का मूल्य सबूत हो
जाएगा । चाहिए कि लेख्यधारी
स्वयं मय वारीसान उक्त सम्पत्ति
पर दखल काबीज होकर एवं
इख्तयार जैसे चाहे अपने
मसरफ में लावें जो चाहे
अपनी इच्छानुसार करें या
इस पर नया मकान बनावें
तथा अपने नाम से

60 Rs.

साठ रुपये

६० रु.

भारत
INDIA

SIXTY RUPEES

60RS.

बिहार सरकार के सिरिश्ते
में खाता अंचल पदाधिकारी
गढ़वा एवं नगरपालिका गढ़वा
में दाखील खारीज कराकर
सालाना टैक्स दिया करें एवं
रसीद अपने नाम हासील
किया करें इसमें किसी प्रकार
का कोई उज्र उजरदारी या
हीला हवाला लेख्यकारी या इनके
किसी वारिसान या उतराधिकारी
या स्थानापन्न को नहीं
होगा। इसलिये लेख्यकारी
अपने मन की खुशी की
स्थिरता में नफा नुकसान
समझते हुए बिना किसी

30 Rs.

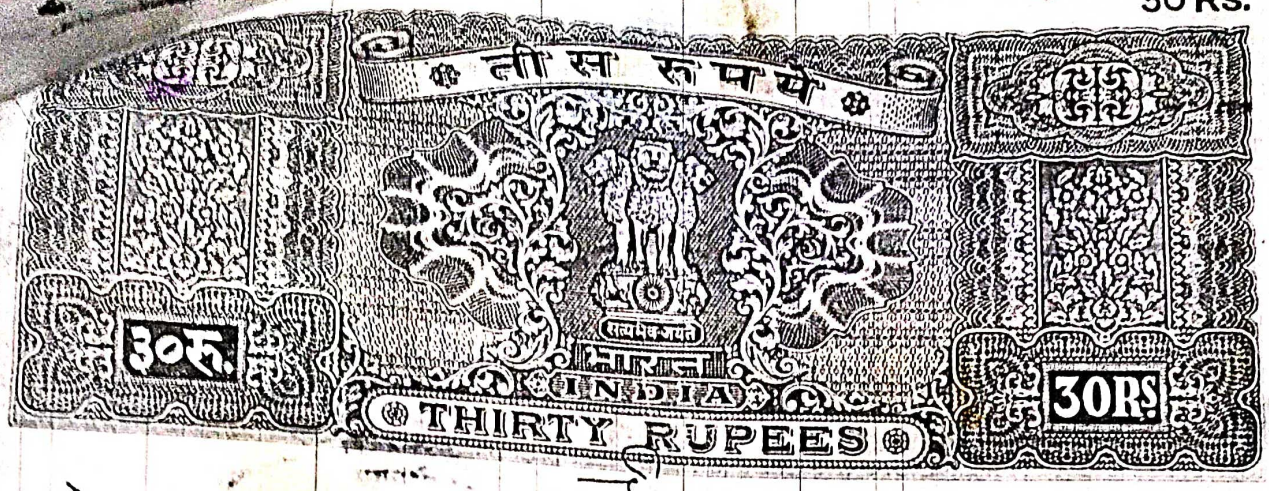

तीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

THIRTY RUPEES

३०रु. 30RS.

के हक्क को कहलाने के सभी
बातों को समझ बुझकर होश
हवाश दुरुस्तगी में यह विक्रय-पत्र
(केवाला बयाला कबाला) लिख दिया तथा
मजमून स्वयं पढ़कर एवं पढ़वाकर
सुन समझ लिया कि समय पर
काम आवे और प्रमाण रहे। मैं
(वे) रजामन्दी यह घोषित करता हूँ
कि मेरा नाम भूमिहीनों की सूची
एवं सिलींग सूची में नहीं है
तथा उक्त सम्पत्ति खास महाल
एरिया के अन्दर नहीं है।

आज दिनांक 14-09-16 माह
मुताबिक सन् 10-8-2016

लिखा मैं नहीं हूँ

ता० 4 माह जून सन् 1977 ई०-
उन्नीस सौ सतहत्तर इस्वी।

कातिब – भागीश्वर प्रसाद साकीन
गढ़वा थाना गढ़वा मजकूर
पढ़ कर दोनों पक्षों को
सुना के [illegible] दिया।
नोट- अैबाला के पन्ना सात में तीसरा
लाइन में है काटा हुआ है मेलॉट का नहीं है
ता० 4 — 6/6 ई०

[illegible]